रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 247] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 1998/आषाढ़ 10, 1920

No. 247] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 1998/ASADHA 10, 1920

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1998

सं. 25/98-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन. टी.)

सा. का. नि. 375 (अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (नौवां संशोधन) नियम, 1998 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 50 का लोप किया जाएगा,

3. उक्त नियमों के नियम 173ड में—

(क) शीर्ष "निर्यात के लिए निकासी किए गए माल की कारखाने में वापसी अनुज्ञात की जा सकेगी" के स्थान पर "निर्यात के लिए निकासी किए गए माल की कारखाने में वापसी" शीर्षक रखा जाएगा,

(ख) उप नियम (1) के आरंभिक पैरा के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"सहायक आयुक्त की सूचना देने के पश्चात् रिवेट के लिए दावा या बंध पत्र के अधीन निर्यात के लिए निकास किए गए ऐसे विनिर्मित उत्पाद-शुल्क्य माल को, जिसका किन्हीं कारणों से निर्यात नहीं किया गया है, पुनर्निर्माण, परिष्करण, अनुकूलन करने या किसी कारखाने में अन्य वैसी ही प्रक्रिया करने के लिए उसी कारखाने या किसी अन्य कारखाने को वापस किया जा सकेगा :"

(ग) उप नियम (1क) के आरंभिक पैरा के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"सहायक आयुक्त को सूचना देने के पश्चात् बंधपत्र में निर्यात के लिए निकास किए गए विनिर्मित उत्पाद शुल्क्य माल को, जिसका किन्हीं

कारणों से निर्यात नहीं किया गया है, भंडारण के प्रयोजनों के लिए उसी कारखाने को वापस किया जा सकेगा :''

[फा. सं. 201/04/98-सी.एक्स. 6]

पी.के. सिन्हा, अवर सचिव

टिप्पण :—1. मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. IV डी.-सी. ई., तारीख 28 फरवरी, 1944 को प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् इन्हें वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 23/98-सी.ई. (एन.टी.) तारीख 26 जून, 1998 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 1998

No. 25/98-Central Excise (NT)

G.S.R. 375 (E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Excise (Ninth Amendment) Rules, 1998.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Excise Rules, 1944, (hereinafter referred to as the said rules), rule 50 shall be omitted;

3. In rule 173M of the said rules,—

   (a) for the heading, ''Goods cleared for export may be allowed to be returned to the factory'', the heading, ''Goods cleared for export to be returned to the factory'' shall be substituted;

   (b) in sub-rule (1), for the words ''The Commissioner may allow manufactured exercisable goods cleared for export under claim for rebate or in bond, but not exported for any reasons to be returned'', the words ''After intimating the Assistant Commissioner, the manufactured excisable goods cleared for export under claim for rebate or in bond, but not exported for any reasons may be returned'' shall be substituted;

   (c) in sub-rule (1A), for the words ''The Commissioner may also allow manufactured excisable goods cleared for export in bond, but not exported for any reasons, to be returned'', the words ''After intimating the Assistant Commissioner, the manufactured excisable goods cleared for export in bond, but not exported for any reasons, may be returned'' shall be substituted.

[F. No. 201/04/98-CX. 6.]

P.K. SINHA, Under Secy.

Note :—1. The principal rules were published in the Gazette of India vide notification No. IV D-CE, dated the 28th February, 1944 and subsequently last amended by Ministry of Finance (Department of Revenue) notification No. 23/98-CE (NT) dated 26th June, 1998.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998